

सं. एआईआई/551/23/15

New Delhi the _____ 20

29.09.2015

7.10

श्री दिनेश कुमार पासी,
पुत्र श्री शत्रोहन लाल पासी
गांव: जहाँनपुर, डाकघर: दाऊदपुर,
जिला लखीमपुर खीरी, उ. प्र.-262 701

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री दिनेश कुमार पासी से प्राप्त आरटीआई आवेदन।

महोदय,
कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतरित दिनांक 17-7-2015 का श्री दिनेश कुमार पासी से प्राप्त आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें।

2. इस प्रभाग का संबंध आरटीआई आवेदन के क्र.सं. 2 से है। इस पैरा के तहत मांगी गई सूचना उस प्रारूप में उपलब्ध नहीं है जिस रूप में इसके लिए अनुरोध किया गया है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के पश्चिम अफ्रीका प्रभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों को मई, 2014 से 15 जुलाई, 2015 तक उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	देश	ब्यौरा	राशि रुपयों में
1	लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी	इबोला प्रभावित देशों के लिए मानवीय सहायता (150000 अमरीकी डालर)	9096000
2	लाइबेरिया	इबोला प्रभावित देशों के लिए मानवीय सहायता (5581 अमरीकी डालर)	344292

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप श्री संजीव कोहली, संयुक्त सचिव (पश्चिम अफ्रीका) व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू भवन, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली - 110011 के पास इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

जसविंदर सिंह

(जसविंदर सिंह)

उप सचिव (डब्ल्यूए) / सीपीआईओ,
पश्चिम अफ्रीका प्रभाग, कमरा सं. 0155,
बी विंग, भूतल, जवाहर लाल नेहरू भवन,
23-डी, जनपथ, नई दिल्ली-110011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ।
2. डॉ. सुमित सेठ, उप सचिव (डीडी), विदेश मंत्रालय।
3. श्री उपेन्द्र सिंह नेगी, प्रचार अधिकारी (एक्सएमएम), विदेश मंत्रालय।

8/12/2015

आर.ए. अशोक / नामित जन सूचना अधिकारी,
(निवेदक का नाम)
आर.ए. अशोक, नई दिल्ली ।

(स्थान का नाम)

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 06 (01) (ख) के प्राविधानानुसार प्रमाणित प्रतियों के रूप में सूचना प्राप्त हेतु आवेदन-पत्र

माहोदय,

आवेदक को उपरोक्त विहित अधिनियम एतत् धारा के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियों के रूप में आपसथकता है। "उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (कीरा सूचना लागू विधियम) नियमकी, 2016" के नियम : 04 के प्राविधानानुसार "माहना पत्र सूचना" शक्ति करते इस नाम की अपराध हेतु भारतीय प्रमाणित आवेदन संख्या : 21/07/2015 दिनांक 21/07/2015 आशुषर 22/07/2015 को जारी सूचना के अन्तर्गत पर सुधारण योग्य मूल रूप में संलग्न है।

भूषण "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा : 07 (03) (ख) के प्राविधानानुसार किंतु चाहेतु सूचनाओं विहित हेतु "सूचना अधिकार" शक्ति की जानकारी की अपेक्षक को अपने पत्र द्वारा संश्लेष देने का कार्य करें। शिवाये उसी योग्य नाम कर सुधारणो प्राप्त की जा सके।

माहित सूचनाओं का विवरण निम्नांकित है :-

1. माहना पत्र सूचना संख्या 21/07/2015 दिनांक 21/07/2015 को जारी की गयी है।
 a. 15/07/2015 को जारी सूचना की प्रतियां प्राप्त की जा सकें।
 b. सूचना का अर्थ स्पष्ट किया जा सके।
 c. सूचना के अन्तर्गत सूचना का अर्थ स्पष्ट किया जा सके।
2. माहना पत्र सूचना संख्या 21/07/2015 दिनांक 21/07/2015 को जारी की गयी है।
 a. 15/07/2015 को जारी सूचना की प्रतियां प्राप्त की जा सकें।
 b. सूचना का अर्थ स्पष्ट किया जा सके।
 c. सूचना के अन्तर्गत सूचना का अर्थ स्पष्ट किया जा सके।
3. माहना पत्र सूचना संख्या 21/07/2015 दिनांक 21/07/2015 को जारी की गयी है।
 a. 15/07/2015 को जारी सूचना की प्रतियां प्राप्त की जा सकें।
 b. सूचना का अर्थ स्पष्ट किया जा सके।
 c. सूचना के अन्तर्गत सूचना का अर्थ स्पष्ट किया जा सके।

दिनांक : 14/07/2015

नाम : आर.ए. अशोक

संलग्नक : 01/07/2015

सूचना का अधिकार अधिनियम

आवेदक

आर.ए. अशोक

(नाम)

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक : 14/07/2015

सूचना का अधिकार अधिनियम